न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2021 राजस्व अपील

1. समयसिंह पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली ढाणी लावडा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन अधिकारी दौसा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30.12.2020 अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी सहायक वन संरक्षक दौसा

उपस्थिति : श्री मिट्ठन लाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 21.07.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा के यहां एक रिपोर्ट इस आशय का पेश की कि अपीलान्ट ने वन भूमि खसरा नम्बर नया 295 पुराना 187 रकबा 0.2 है. पर अनाधिकृत रूप से कब्जा तथा अतिचार कर रखा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी दौसा की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से विधि विधान के विरूद्ध वैगपूर्ण निर्णय बाबत् पेनल्टी 2100/—रूपये की वसूली का फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व प्रकरण से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय का मूल पत्रावली तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का निर्णय विधि विधान न्याय नियम प्रक्रिया के विरूद्ध होने के कारण चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा पेश जवाब नोटिस एवं आराजी साबिक खसरा नम्बर 187 हाल खसरा नम्बर 295 की दुरूस्ती रिकॉर्ड की अधिघोषणा पेशशुदा दस्तावेज न्यायालय एसडीओ सिकराय के दावे, टी. आई की नकलों को भी रिकॉर्ड पर नहीं बताकर न्यायालय एसडीओ सिकराय के आदेश की अवहेलना कर अपीलान्ट का मात्र 0.2 है. भूमि पर अतिचार बताकर महज बेईज्जत करने की गरज से भारी पेनल्टी राशि 2100/— रूपये का आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 30.12.2020 खारिज फरमाया जावे।

Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने वन भूमि खसरा संख्या नया 295 पुराना 187 रकबा 0.2 है. पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करते हुये निर्णय दिनांक 30.12.2020 पारित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित वन भूमि से बेदखल कर 2100/- रूपये की शास्ति कायम करने का निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने वन भूमि खसरा संख्या नया 295 पुराना 187 रकबा 0.2 है. पर काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को उक्त वन भूमि से बेदखल कर 2100/- रूपये की शास्ति आरोपित की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा